[2020] 9 एस. सी. आर 1

इन आरईः समस्याएं और गलतियाँ

प्रवासी श्रमिकों का

(2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 6)

09 जून, 2020

[अशोक भूषण, संजय किशन कौल

और एम. आर. शाह, जे. जे.]

संज्ञान-स्वतः संज्ञान कोविड-19 महामारी आंदोलन/प्रवासी मजदूरों की समस्याएं-निर्देशों के अलावा दिनांक 28.05.2020 के आदेश द्वारा जारी किया गयाः योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में कुछ खामियों और कमियों को देखते हुए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजनाओं की सतर्कता और पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित करना चाहिए।

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्रवाई और जहां आवश्यक हो वहां उचित कार्रवाई करना-प्रवासी मजदूरों के संबंध में अधिकता के कुछ उदाहरणों के संबंध में, संबंधित डीजीपी/पुलिस

एस में निर्दिष्ट अपराधों के लिए प्रवासी मजदूर। 51 , 2005 लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए अधिनियम और अन्य संबंधित अपराध-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आज से 15 दिनों के भीतर रेल, बस या अन्य माध्यमों से फंसे हुए श्रमिकों को ले जाएँगे-संबंधित राज्य द्वारा प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँगे ताकि आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा सकें। अपने मूल स्थानों पर पहुँचने वाले श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और रोजगार के अन्य अवसरों के बारे में जानकारी-राज्य उन श्रमिकों की वापसी की सुविधा प्रदान कर सकता है जो अपने मूल स्थानों पर लौटना चाहते हैं।

रोजगार-अन्य मुद्दों पर विचार किए जाने तक प्रवासी श्रमिकों की स्थितियों में सुधार के लिए आगे के निर्देश जारी किए गए

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005। 6 (2) (i), 12 और 51-अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार के नियम और राज्य की शर्तें)

सेवा) अधिनियम, 1979-निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996-असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में

हलफनामों में विभिन्न उपायों, केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों और दिशानिर्देशों, आपदा के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख किया गया है।

प्रबंधन अधिनियम, 2005, नीतियों और द्वारा लिए गए निर्णय

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राहत शिविरों, आश्रय शिविरों को चलाने, प्रवासियों के भोजन और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थान तक पहुँचाने की आवश्यकता

परिपत्रों, नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन उन योजनाओं को कुशलता से और सही ढंग से लागू करने के लिए सौंपा जाता है। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में खामियों और कमियों को विभिन्न हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा उनके कार्यों में उजागर किया गया है। आवेदन और शपथ पत्र। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सतर्कता और पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित करने और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी पता चलता है कि राज्यों के पुलिस अधिकारी, अर्धसैनिक बल जहां भी तैनात हैं, वे सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों के संबंध में अधिकता के कुछ उदाहरण भी हैं। प्रवासी मजदूर, जो अपनी नौकरी बंद होने के बाद अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए मजबूर थे, पहले से ही पीड़ित हैं। सभी प्रवासी मजदूरों के साथ वित्तीय कठिनाई होने के कारण उन्हें हमेशा पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा मानवीय तरीके से निपटना पड़ता है। संबंधित पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं। [पैरा 26] [15-बी-जी]

1.2 जहाँ तक प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन, सड़क या अन्य माध्यमों से उनके मूल स्थानों तक पहुँचाने का संबंध है,

फंसे हुए श्रमिकों के बड़े हिस्से को पहले ही राज्य सरकारों, रेलवे और अन्य संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जा चुकी है। लेकिन फिर भी विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल राज्य, तमिलनाडु राज्य और गुजरात राज्य में। ट्रेन की मांग की अनुसूची, जैसा कि रिकॉर्ड में लाया गया है, इंगित करती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 03.06.2020 से 16.06.2020 तक चलने वाली ट्रेनों की कुल मांग 171 है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आज से 15 दिनों के भीतर सभी फंसे हुए श्रमिकों को ट्रेन, बस या अन्य माध्यम से परिवहन करने का निर्देश दिया गया है। [पैरा 28] [16-सी-ई] आरई मेंः

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

1.3 विभिन्न राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने के लिए, पंजीकरण का प्रोटोकॉल पहले से ही लागू है। पहले की तरह

दिनांकित 28.05.2020 आदेश के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि

पंजीकरण को सरल बनाया जाए। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की पहचान तुरंत पूरी की जाए और

जो प्रवासी श्रमिक अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उनके द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करके तत्काल कदम उठाए जाएं।

पुलिस थानों और स्थानीय क्षेत्रों के अन्य स्थानों सहित आसपास के स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना। प्रशासन जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है। रेल और बस द्वारा यात्रा के बारे में जानकारी, जो फंसे हुए श्रमिकों द्वारा की जानी है, स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय टी. वी. चैनलों के माध्यम से प्रचारित की जानी चाहिए ताकि संबंधित प्रवासी श्रमिकों तक आवश्यक जानकारी पहुंच सके। [पैरा 30] [16-जी-एच; 17-ए]

1.4 फंसे हुए अधिकांश श्रमिक अपने पैतृक स्थानों पर पहुंच गए हैं। दूसरा प्रमुख कार्य जो अब होना है

संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन प्रवासी श्रमिकों/मजदूरों की देखभाल की जा रही है जो अपने रोजगार की समाप्ति के बाद अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं। प्रवासी श्रमिकों का विवरण, उनके कौशल की प्रकृति, उनके पहले के रोजगार का स्थान निर्धारित में बनाए रखा जाए।

ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर संबंधित राज्य द्वारा प्रारूप तैयार किया जाएगा ताकि आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सके।

राज्य के अधिकारियों और जिला अधिकारियों द्वारा इन प्रवासी मजदूरों तक पहुँचाया गया। परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए प्रखंड स्तर पर संबंधित राज्य और जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं और अन्य के बारे में सभी जानकारी प्रदान करना।

इन श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर। राज्य आवश्यक जानकारी भी प्रदान कर सकता है और वापसी की सुविधा प्रदान कर सकता है।

वे कर्मचारी जो अपनी नौकरी पर लौटना चाहते हैं। रेलवे अधिकारियों और सड़क परिवहन अधिकारियों की मदद से हेल्प डेस्क बनाकर राज्य द्वारा इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। देश में लोगों के लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के अलावा,

प्रत्येक राज्य की अपनी योजनाएं भी हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखती हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग रिकॉर्ड लाना चाहिए।

ऐसी योजनाएं जो संबंधित राज्य में लागू की जाती हैं जो इन प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित कर सकती हैं ताकि इसकी जांच भी की जा सके [2020] 9 एस. सी. आर.

इस न्यायालय द्वारा उस संबंध में उचित निर्देश जारी करने के लिए। इस प्रकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न पहलुओं के जवाब में अतिरिक्त हलफनामे जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है, जैसा कि इस आदेश में देखा गया है। केंद्र सरकार उन विभिन्न योजनाओं को भी रिकॉर्ड में ला सकती है जो प्रवासी मजदूरों द्वारा ली जा सकती हैं जिन्हें अतिरिक्त श्रमिकों द्वारा भी लिया जा सकता है।

दो सप्ताह के भीतर शपथ पत्र। [पारस 31,32] [17-बी-एच; 18-ए]

1.5 लॉकडाउन उपायों के कारण प्रवासी मजदूरों ने डब्ल्यू. ई. एफ. 25.03.2020 को लागू किया और अपने कार्यस्थल/रोजगार के स्रोत के बंद होने के कारण अपने गृहनगर पहुंचने के लिए देश के कई हिस्सों में जाना शुरू कर दिया। इसके तहत दिशा-निर्देश, प्रवासियों द्वारा आवाजाही भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत एक अपराध है। पुलिस अधिकारियों ने इस तरह की गतिविधियों को रोकना शुरू कर दिया और

प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कुछ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सरकार ने प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही की अनुमति केवल इसी साल से दी थी। 29.04.2020 . सड़कों पर जाने में लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रवासी मजदूरों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायतें हो सकती हैं। प्रवासी मजदूर जो अलग-अलग स्थानों पर काम करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे

काम बंद होने के कारण प्रतिष्ठानों को अपने गृहनगर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लॉकडाउन उपायों को लागू करने के बाद इन प्रवासी मजदूरों की आवाजाही की कार्रवाई परिस्थितियों के बल पर की गई थी। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 में निर्दिष्ट अपराधों और लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज अन्य संबंधित अपराधों के लिए ऐसे प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज अभियोजन/शिकायतों को वापस लेने पर विचार कर सकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005। [पैरा 33] [18-डी; एफ-एच; 19-ए]

1.6 ऊपर जो कुछ बताया गया है, उसके अलावा

अन्य मुद्दों पर विचार किए जाने तक प्रवासी श्रमिकों की स्थितियों में सुधार के लिए और निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, 28.05.2020 दिनांकित आदेश द्वारा पहले से जारी निर्देशों और ऊपर निर्देशित उपायों के अलावा, आगे

केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए जाते हैं। [पारस 34,35] [19-बी-सी] आरई मेंः

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः सुओ मोटू रिट याचिका

(सिविल) 2020 का सं. 6

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) डायरी सं. 11394/2020 और डब्ल्यू. पी. (C) नहीं। 511/2020

तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, संजय जैन, एएसजी, एस. सी. वर्मा, अमित कुमार, अतुल नंदा, एजी। , प्रभुलिंग नवदगी, अभिनव मुखर्जी,

सौरभ मिश्रा, जयंत मुथुराज, आशीष कुमार, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, नलिन कोहली, एएजीएस, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, श्रीमती मनीषा लव कुमार, अमन लेखी, डॉ. मनीष सिंघवी, विक्रमजीत बनर्जी, पी. एस. नरसिम्हा, आर. बालासुब्रमण्यम, कपिल सिब्बल, सुश्री इंदिरा जयसिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, कॉलिन गोंजाल्विस, जयदीप गुप्ता, बी. एस. पाटिल, पी. चिदंबरम, आनंद ग्रोवर, संजय पारिख, गोपाल शंकरनारायणन,

पाधी, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री अनुपमा नगंगोम, करुण शर्मा, अविजीत मणि त्रिपाठी, सुश्री रेखा बख्शी, शौर्य सहाय, अर्जुन गर्ग, सुश्री रति टंडन, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री के. एनातोली सेमा, सिबो शंकर मिश्रा, करण भारिहोक, सुश्री उत्तरा बब्बर, संदीप कुमार झा, नरेंद्र कुमार, एम. योगेशकन्ना, सुश्री गरिमा प्रसाद, डॉ. अभिषेक अत्रे, शादमान अली, सुश्री विद्युतमा झा, सुश्री अंबिका अत्रे, सुहान। जगदीशवरन, सुश्री जी. इंदिरा, सुश्री रंगोली, निखिल गोयल, नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, प्रशांत सिंह बी., एम. शोएब आलम, मोजाहिद करीम खान, राज बहादुर यादव, वी. जी. प्रगसम, सुश्री नूपुर कुमार, सुनील फर्नांडीस, अविष्कार सिंघवी, मुहम्मद खान, वरुण चोपड़ा, उमर होदा, बास्तुत दलवी, सुश्री ऐश्वर्या महापात्रा, गुरतेजपाल सिंह, नितिन मिश्रा, सुश्री मित्तल गुप्ता, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, बीजू पी. रमन, सुभाष चंद्रन के. आर., अलोक श्रीवास्तव, सत्य मित्रा, गुंजन सिंह,

सिद्धार्थ सीम, सुश्री अनुप्रदा सिंह, सुश्री हरिनी रघुपति, [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मकबूल, सुश्री आकृति चौबे, सुश्री ऐश्वर्या सरकार, शादन फरासत, राज किशोर चौधरी, शिवम शर्मा, प्रदीप कुमार मित्तल, शकील अहमद, संदीप कुमार झा, मोहित पॉल, गौतम तालुकदार, नरेंद्र कुमार, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री मिट्ठू जैन, अर्णव विद्यार्थी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

आवेदक व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. हमारे दिनांकित 28.05.2020 के आदेश के अनुसरण में, एक शपथ पत्र पर

केन्द्र सरकार की ओर से श्रीमती. सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, दायर किया गया है। विभिन्न राज्यों के साथ-साथ केंद्र द्वारा भी जवाबी हलफनामे/रिपोर्ट दायर किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए उपायों का विवरण देने वाले क्षेत्र और इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अनुपालन का दावा करने वाले तथ्य

28.05.2020 . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से एक आवेदन भी दायर किया गया है जिसमें इस मामले में हस्तक्षेप करने के साथ-साथ आवेदन में बताए गए विभिन्न निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों को बताते हुए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों की ओर से हस्तक्षेप के लिए विभिन्न आवेदन भी दायर किए गए हैं। हस्तक्षेप करने वालों ने स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपायों का भी सुझाव दिया है।

2. हमने श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, विभिन्न राज्यों की ओर से पेश विद्वान वकील, श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील, डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्रीमती. इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री कॉलिन गोंजाल्विस, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील और अन्य विद्वान वकील जिन्होंने इस कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए प्रस्तुतियाँ दी हैं।

3. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सभी कोरोना योद्धा और

पूरे देश ने अभूतपूर्व महामारी के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उससे निपटा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शुरू में 25.03.2020 पर, जब राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया गया था, पहली प्राथमिकता वायरस के प्रसार को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही सहित एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई मानव आवाजाही न हो। हालांकि, समग्र स्थिति का आकलन करने के बाद, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 29.04.2020 पर निर्णय लिया गया, जिसमें आईएन आरई की आवाजाही की अनुमति दी गई:

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों, जो थे

अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा आवाजाही के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए दिनांक 01.05.2020 का आदेश जारी किया गया था। आई. डी. 1 पर रेल मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाने की घोषणा करते हुए आदेश जारी किया। रेल मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त किए हैं। विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोध पर, श्रमिक ट्रेनें गंतव्य तक चल रही थीं। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए विभिन्न राज्यों से लगभग 4228 श्रमिक ट्रेनें चल रही थीं। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा लगभग 1 लाख प्रवासियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि में स्थित विभिन्न गंतव्यों पर स्थानांतरित किया गया है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि लगभग 80 प्रतिशत ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए हैं और शेष ट्रेनें पूर्वी भारत की ओर जा रही हैं। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने आगे कहा कि लगभग 41 लाख प्रवासी श्रमिकों को सड़क परिवहन के माध्यम से उनके संबंधित स्थानों से उनके इच्छित गंतव्य तक ले जाया गया है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि रेल मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को "श्रमिक रेल द्वारा फंसे हुए व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमानित मांग" विषय पर दिनांकित 29.05.2020 और 03.06.2020 पत्र जारी किए हैं। उपरोक्त पत्रों के जवाब में, उनसे अनुरोध प्राप्त हुआ है

03.06.2020 से 16.06.2020 तक की ट्रेनों के लिए विभिन्न राज्य जो अंतिम तिथि है जिस पर ट्रेनों के लिए प्रार्थना की गई है। वे प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी ट्रेन के लिए विभिन्न राज्यों से कोई मांग नहीं है। जैसा कि उन्होंने हलफनामे में अनुलग्नक आर-6 के रूप में रिकॉर्ड पर लाए गए चार्ट का उल्लेख किया, जिसमें विभिन्न राज्यों से मांगी गई ट्रेनों का विवरण संकलित किया गया है।

4. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि रेल मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रमिक विशेष ट्रेन की किसी भी मांग को रेल मंत्रालय द्वारा 24 घंटे के भीतर पूरा किया जाएगा और कुल मांग, जो अब लंबित है, केवल 171 ट्रेनें हैं, जबकि मंत्रालय ने पहले एक दिन में 250 ट्रेनें चलाई हैं। श्री तुषार मेहता प्रस्तुत करते हैं कि रेल यात्रा के लिए प्रवासी मजदूरों से कोई किराया नहीं पूछा जा रहा है और यह मूल राज्य और प्राप्त करने वाले राज्य के बीच व्यवस्था के अनुसार वहन किया जाता है। वह प्रस्तुत करते हैं कि ट्रेन यात्रा में भोजन और पानी मूल राज्य द्वारा और अधिक [2020] 9 एस. सी. आर. की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

12 घंटे से अधिक का भोजन भी रेलवे द्वारा प्रदान किया जाता है। श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के समर्थन से केंद्र सरकार भारतीय प्राधिकरण उन प्रवासी श्रमिकों को, जो सड़कों पर चलते हुए पाए गए थे, उन्हें निकटतम रेलवे स्टेशनों तक आवश्यक परिवहन प्रदान करके स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। श्री तुषार मेहता प्रस्तुत करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और दिशानिर्देशों के अनुसरण में विभिन्न उद्योगों, कारखानों आदि को खोलने के कारण

इसके तहत, कई प्रवासी श्रमिक, जो पहले अपने मूल स्थान पर लौटने के इच्छुक थे, उन्होंने अपना मन बदल लिया है और उनमें से कुछ अपने कार्यस्थलों में शामिल हो गए हैं और काम कर रहे हैं। श्री तुषार मेहता ने यह भी कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्य मांग के बावजूद श्रमिक विशेष ट्रेन को स्वीकार करने के लिए सहमति नहीं दे रहे थे, गृह मंत्रालय ने सहमति की आवश्यकता को हटाने के लिए एक आदेश जारी किया। श्री तुषार मेहता प्रस्तुत करते हैं कि अन्त्योदय अन्न जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत

तीन महीने (अप्रैल-जून, 2020) की अवधि के लिए प्रति माह व्यक्ति को निःशुल्क वितरित किया जाता है। श्री तुषार मेहता प्रस्तुत करते हैं कि जो मांगें पहले से ही रेलवे के पास हैं, उन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा अनुरोध के अनुसार प्रदान किया जाएगा और यदि कोई और मांग प्राप्त होती है, तो रेलवे द्वारा 24 घंटे के भीतर उन्हें पूरा किया जाएगा। 5. महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और गुजरात राज्य ऐसे राज्य हैं जहाँ से बड़ी संख्या में

प्रवासी श्रमिकों को उनके पैतृक स्थानों पर भेज दिया गया। इन राज्यों ने अपने जवाब भी दाखिल कर दिए हैं जिन पर हम आगे ध्यान देंगे। महाराष्ट्र राज्य की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है 29.03.2020 लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों सहित व्यक्तियों, मजदूरों, विस्थापित श्रमिकों को राहत शिविरों की स्थापना के माध्यम से निःशुल्क तत्काल राहत प्रदान करना। यह कहा गया है कि कार्य प्रदान करने और पर्यवेक्षण के लिए समितियों का गठन किया गया था। ये समितियाँ गैर-सरकारी संस्थाओं की भी पहचान करती हैं।

सामाजिक कार्यों में लगे संगठन और व्यक्तियों के अन्य समूह, जो प्रवासी मजदूरों की मदद करने के इच्छुक हैं। महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री चिटनिस ने कहा कि लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक स्थानों पर भेजा गया है। 5 लाख से अधिक यात्रियों को बसों द्वारा निःशुल्क ले जाया गया है। महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम। न्यायालय द्वारा एक प्रश्न पर, आई. एन. आर. ई.:

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

यह पूछे जाने पर कि महाराष्ट्र राज्य में अभी भी कितने फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं, श्री चिटनिस ने कहा कि लगभग 37,000 अभी भी लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि महाराष्ट्र राज्य ने रेलवे के लिए केवल एक ट्रेन के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है और प्रवासी मजदूरों की एक सूची तैयार की गई है

राज्य द्वारा तैयार किए गए और अधिकांश मजदूरों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है जहां वे बसों और ट्रेनों में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि हालांकि हलफनामे में राज्य का दावा है कि वह प्रवासी श्रमिकों को भोजन और आश्रय प्रदान कर रहा है और पूरे श्रमिकों की सूची तैयार की गई है, लेकिन हस्तक्षेप करने वालों और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए विभिन्न हलफनामों और सामग्रियों में इस दावे का खंडन किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई उचित नहीं है

प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था और न ही श्रमिकों के पंजीकरण का कोई सरल तरीका है। राज्य की नीतियों और निर्णयों को लागू करने में राज्य के अधिकारियों की ओर से भारी खामियां हैं और अधिकांश दावे केवल कागजों पर हैं जो प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़े दुख और कठिनाई का कारण बनते हैं।

6. हमारा विचार है कि राज्य को प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने के लिए अधिक सतर्क और केंद्रित प्रयास करना होगा, जो अभी भी काम कर रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य में फंसे हुए और जो अपने मूल स्थानों पर लौटने के इच्छुक हैं। सरकार को उन श्रमिकों की पहचान/पंजीकरण के लिए पुलिस स्टेशन या किसी अन्य उपयुक्त स्थान का प्रचार और घोषणा करनी चाहिए, जिन्हें अभी तक कोई ट्रेन या बस यात्रा प्रदान नहीं की गई है। राज्य पर्यवेक्षी समिति, जिला पर्यवेक्षी समिति और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रवासी मजदूर, जो अपने पैतृक स्थान पर जाने के इच्छुक हैं, उनकी पहचान की जाए, उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया जाए और फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को यात्रा या भोजन की सुविधा प्रदान नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त न हो। 7. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन पेश हुए। श्री जैन प्रस्तुत करते हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगभग 3

लाखों प्रवासी श्रमिकों को 236 ट्रेनों द्वारा उनके पैतृक स्थानों पर भेजा गया है और लगभग 12,000 को बसों द्वारा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि लगभग साढ़े छह लाख लोग पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इन पंजीकृत व्यक्तियों को उनके मूल स्थान पर वापस जाने के लिए एस. एम. एस. और आई. वी. आर. भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 2 लाख प्रवासी मजदूरों ने अपने मूल स्थानों पर नहीं जाने का फैसला किया है, संभवतः इस तथ्य के कारण कि उद्योग और प्रतिष्ठान के खुलने के बाद उन्होंने खुद को [2020] 9 एस. सी. आर. में फिर से शामिल कर लिया है।

काम करते हैं। श्री जैन, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उन प्रवासी श्रमिकों की पहचान करेगा, जो अपने मूल स्थान पर जाने के इच्छुक हैं और उन्हें आवश्यक रेल और सड़क परिवहन सुविधा प्रदान करेगा। श्री जैन भी प्रस्तुत करते हैं प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए चिकित्सा, जांच और हेल्प डेस्क केंद्र हैं।

8. राज्य की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट भी दायर की गई है

गुजरात। वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने कहा कि अब तक 14 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को 999 श्रमिक ट्रेनों द्वारा उनके पैतृक स्थानों पर भेजा जा चुका है। 24.05.2020 से, प्रवासी श्रमिकों से श्रमिक ट्रेनों के लिए कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में लगभग 23 लाख प्रवासी श्रमिक थे, जो विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे। लगभग 5,75,000 श्रमिकों को सड़क परिवहन द्वारा अन्य राज्यों में भेजा गया है। वह प्रस्तुत करता है कि 23 लाख में से लगभग 20,50,000 पहले ही भेजा जा चुका है। अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों से कोई बस किराया नहीं लिया गया है और उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 28.05.2020 पर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का राज्य द्वारा पालन किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल "डिजिटल गुजरात" स्थापित किया गया है और एक समानांतर, प्रभावी, विकेंद्रीकृत प्रणाली पर भी काम किया गया है। राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि एक बार सूची में प्रवासी श्रमिक का नाम शामिल हो जाने के बाद, उन्हें 4-5 दिनों के भीतर मूल राज्य के लिए प्रस्थान करने का मौका मिलता है और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाता है। श्रम आयुक्त द्वारा कई परामर्श जारी किए गए थे। गुजरात सरकार ने रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। 1000 / - भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत प्रवासी मजदूरों सहित श्रमिकों के खाते में सीधे। विभिन्न योजनाओं के तहत भोजन भी प्रदान किया जाता है। श्री मनिंदर सिंह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि केवल कुछ श्रमिक ही अपने पैतृक स्थान पर जाने के इच्छुक हो सकते हैं, अन्य अपने रोजगार में फिर से शामिल हो गए हैं।

9. उत्तर प्रदेश राज्य ने हमारे दिनांकित 28.05.2020 आदेश के अनुसरण में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. नरसिम्हा पेश हुए हैं। श्री नरसिम्हा ने कहा कि राज्य में 25 लाख श्रमिक सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से अपने घरों को लौट आए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा इसकी बसें यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी प्रवासी मजदूर सुरक्षित और मुफ्त में अपने घरों तक पहुँच सकें। प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के लिए घर में पृथक-वास के लिए भेजा जाता है और केंद्र से बाहर जाते समय उन्हें एक राशन किट के साथ-साथ Rs.1000/- की नकद राशि प्रदान की जाती है। वह प्रस्तुत करता है कि आई. एन. आर. ई. के अलावाः

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए अन्य राज्यों से प्रवासियों को प्राप्त करने के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं और 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रूप से संबंधित राज्यों में भेज दिया गया है। श्री नरसिम्हा प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कोई प्रवासी श्रमिक नहीं बचा है, जिसे किसी भी राज्य में जाना पड़े। इसके अलावा

श्रमिक ट्रेनों से, प्रवासियों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के साथ-साथ अन्य राज्यों यानी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से बसों द्वारा लाया गया है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए भी बसें भेजी गई हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं और राज्य सरकार द्वारा भोजन के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था भी की गई है और सभी सुविधाओं का निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाता है। उन प्रवासियों के संबंध में, जो सड़क पर चलते पाए गए थे, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं और प्रवासियों को आश्रय गृहों या संगरोध केंद्र में ले जाया जाता है। इस न्यायालय द्वारा 28.05.2020 पर जारी किए गए अंतरिम निर्देशों के संबंध में, जवाब में अनुपालन का विवरण शामिल किया गया है। श्री नरसिम्हा ने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रवासियों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए भी कदम उठा रही है मजदूर जो राज्य में आए हैं। कई संस्थानों ने लगभग 11 लाख प्रवासियों की अपनी औद्योगिक इकाइयों में रोजगार का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने जवाब दिया है।

बिहार राज्य की ओर से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लगभग 28 लाख प्रवासी बिहार राज्य में लौट आए हैं। प्रवासी ट्रेन के साथ-साथ सड़क परिवहन से भी लौटे हैं। राज्य ने शिविर स्थापित किए हैं। द.

राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए जिला परामर्श केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो कुशल/कुशल लोगों के कौशल स्तर की जांच करेंगे।

अकुशल श्रमिक और राज्य में उपलब्ध रोजगार के विकल्पों का सुझाव दें। राज्य ने राज्य के बाहर फंसे बिहार के प्रत्येक प्रवासी को Rs.1000/- भी प्रदान किया है।

11. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट भी दायर की गई है। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि लगभग 14 लाख प्रवासी मजदूर राज्य में लौट आए हैं और केवल 25,000 श्रमिक हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य में वापस आना बाकी है। सरकार ने अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बसें तैनात की हैं। राज्य ने प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया है और श्रमिकों को [2020] 9 एस. सी. आर. प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

उन्हें रोजगार मिल सकता है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा 28.05.2020 पर जारी निर्देश के संबंध में, राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी दिया गया है।

12. राजस्थान राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने कहा कि लगभग 13 लाख 6 हजार प्रवासी मजदूर वापस लौट आए हैं और बहुत से प्रवासी मजदूर नहीं हैं, जो राजस्थान राज्य में अपने मूल स्थानों पर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

13. कर्नाटक राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 1 लाख से भी कम फंसे हुए प्रवासी श्रमिक हैं, जो अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं लौटें। उन्होंने आगे कहा कि बैंगलोर और अन्य क्षेत्रों में उद्योग खुलने के कारण, अधिकांश श्रमिक अपने रोजगार में फिर से शामिल हो गए हैं।

14. केरल राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डेढ़ लाख श्रमिकों को 100 श्रमिक ट्रेनों में स्थानांतरित किया गया है। 1. 2 लाख श्रमिक अभी भी लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

15. पश्चिम बंगाल राज्य ने भी दिनांकित 28.05.2020 के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दायर किया है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 6,82,558

श्रमिक अभी भी पश्चिम बंगाल आना बाकी है, जो विभिन्न राज्यों में हैं। राज्य के विद्वान वकील ने कहा है कि राज्य इच्छुक है

जितनी विशेष ट्रेनों की आवश्यकता होगी उन्हें समायोजित करें

मूल राज्य। विशेष ट्रेनों से यात्रा करने का पूरा खर्च प्रवासियों की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा वहन किया जा रहा है। राज्य ने आगे कहा है कि भीषण चक्रवात अम्फान और प्राकृतिक आपदा के कारण आई आपदा के बावजूद, पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी श्रमिकों को लगातार वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यवस्थित प्रक्रिया। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पश्चिम की सरकार

बंगाल ने वहां फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए 17 ट्रेनों की मांग की। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि एक छोटी अवधि में, दो सप्ताह से अधिक नहीं, सभी फंसे हुए श्रमिकों को उनके मूल स्थानों पर भेजा जाएगा।

16. हमने अन्य राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है। कमोबेश इसी तरह की प्रस्तुतियाँ

17. विद्वान महान्यायवादी के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम कुछ विद्वान वकीलों को भी सुना है, जो आई. एन. आर. ई. के सामने पेश हुए हैं:

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

प्रवासी श्रमिकों की स्थितियों को सुधारने के लिए उनके सुझाव देकर न्यायालय की सहायता करें।

18. वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने दो दलीलें दीं। वे प्रस्तुत करते हैं कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 में उल्लिखित आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के संबंध में श्री सिब्बल ने कहा कि राज्यों को पंजीकरण के लिए विकेंद्रीकृत प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए

प्रवासियों की ताकि उनके मूल स्थान पर लौटने के उनके अनुरोध पर तुरंत ध्यान दिया जा सके। वह प्रस्तुत करता है कि प्रवासियों को पुलिस स्टेशन में पंजीकरण करने के लिए कहा जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में वे अभी रह रहे हैं।

19. श्रीमती इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करती हैं कि दसियों हज़ार श्रमिकों की वापसी अभी बाकी है। वह उस संख्या को प्रस्तुत करती है

यह एक ऐसे प्रपत्र के साथ आया है जिसमें अंग्रेजी में 21 उत्तर भरने की आवश्यकता होती है, जिससे प्रवासियों को बहुत कठिनाई हो रही है, जिनमें से अधिकांश अनपढ़ हैं। ट्रेनों और बसों की कमी पर राज्य को तुरंत ध्यान देना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्रमिकों ने घर पहुंचने के लिए काफी पैसा खर्च किया। श्रीमती इंदिरा जयसिंह ने आगे कहा कि पूरे देश में संगरोध केंद्रों में गंदगी, चिकित्सा सुविधाओं के साथ अस्वच्छ शौचालयों के गायब होने की सूचना मिली थी, भोजन वितरण भी नहीं हो रहा है जैसा कि दावा किया गया था। वह प्रस्तुत करती है कि प्रवासी श्रमिकों को कम से कम Rs.7500/- की नकद सहायता दी जाए। टी. वी. पर प्रचार करके ट्रेन की जानकारी, सभी भारतीय रेडियो और समाचार पत्र ताकि इस बारे में कोई भ्रम न हो

ट्रेनों का समय, स्थान और गंतव्य। प्रवासी श्रमिकों को भी मुआवजा दिया जाए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. डी. 1 पर वित्त मंत्री की घोषणा, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना दाल दो महीने के लिए मुफ्त देने का वादा किया गया है, को दो सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया जाए।

20. श्री कॉलिन गोंजाल्विस, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को पुलिस स्टेशनों/[2020] 9 एस. सी. आर. में पंजीकरण करने की अनुमति देनी चाहिए।

रेलवे स्टेशन। उन्होंने आगे कहा कि जो प्रवासी श्रमिक लक्षणहीन पाए जाने पर अपने पैतृक स्थान पर पहुंचते हैं, उन्हें संगरोध नहीं किया जाना चाहिए और संगरोध केंद्रों का उपयोग केवल लक्षण वाले प्रवासियों के लिए किया जाना चाहिए।

21. वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने भी फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की पहचान के संबंध में सुझाव दिए हैं। स्वागत/सुविधा केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रव्यापी गठन

योजना बनाना, चिकित्सा, भोजन और आश्रय के लिए योजना बनाना, घोषित वित्तीय राहत जारी करना, रोजगार, शिक्षा, कल्याण के लिए योजना बनाना और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना।

22. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने एन. एल. एस.-प्रवासी मजदूर कार्यक्रम का उल्लेख किया है। जिसके तहत 180 प्रवासी थे

मुंबई से झारखंड के लिए उड़ान भरी गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन. एल. एस.-प्रवासी मजदूर कार्यक्रम, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के कुछ पूर्व छात्रों की एक पहल है।

23. वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने भी केंद्र सरकार द्वारा सीधे स्थानांतरण के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया मृत्यु के कारण रेलवे द्वारा मुआवजे के भुगतान के बारे में।

24. राष्ट्रीय मानवाधिकारों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था

हस्तक्षेप के लिए आयोग, जिसकी अनुमति दी गई है। आवेदन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छह उदाहरणों का उल्लेख किया है जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है

मुद्दों का संज्ञान लिया और विभिन्न सरकारों को नोटिस जारी किए थे

विभाग। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन कार्यवाही को अपने तार्किक अंत तक ले जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रवासी श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ अल्पकालिक उपायों और दीर्घकालिक उपायों का भी सुझाव दिया है। अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के साथ-साथ निर्माण श्रमिक (रोजगार के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 का उल्लेख किया गया है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का भी उल्लेख किया गया है। उपरोक्त अधिनियमों के कार्यकरण और विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में, हम राज्यों की प्रतिक्रिया पर विचार करेंगे और उसके बाद अल्पकालिक उपायों और दीर्घकालिक उपायों के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेंगे।

25. यह भी हमारे सामने लाया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने प्रवासी मजदूरों के मामलों का भी संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय आरई में हैं:

उन योजनाओं को लागू करना। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में खामियों और कमियों को विभिन्न हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा अपने आवेदनों और हलफनामों में उजागर किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी न केवल अपनी नीति, विचार किए गए उपायों, आवंटित धन का उल्लेख करना है, बल्कि सख्त सतर्कता और पर्यवेक्षण भी होना चाहिए। क्या वे उपाय, योजनाएं, लाभ उन लोगों तक पहुँचते हैं जिनके लिए वे हैं। हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित करते हैं कि

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता और कार्यों के पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित करें और जहां आवश्यक हो वहां उचित कार्रवाई करें। हमें इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश अधिकारी, प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी हैं समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, लेकिन खामियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हम अभिलेख पर सामग्री से आगे ध्यान देते हैं कि राज्यों के पुलिस अधिकारी, अर्ध-सैन्य

प्रवासी मजदूर, जो अपनी नौकरी बंद होने के बाद अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए मजबूर थे, पहले से ही पीड़ित हैं। वित्तीय कठिनाई सभी प्रवासी मजदूरों के साथ होने के कारण उन्हें हमेशा पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा मानवीय तरीके से निपटना पड़ता है। संबंधित पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं। 27. हम एक और तथ्य भी देख सकते हैं। हालाँकि यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वे [2020] 9 एस. सी. आर. की देखभाल करें।

प्रवासी मजदूरों की सभी जरूरतों के लिए लेकिन इस कठिन समय में गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने भी योगदान दिया है और

प्रवासियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरा समाज प्रवासी मजदूरों के दुखों और कठिनाइयों से प्रभावित था और इसने व्यक्तियों के माध्यम से अपने जुनून और भक्ति का प्रदर्शन किया। गैर-सरकारी संगठन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने और महामारी से लड़ने और उनकी कीमत पर भोजन, पानी और परिवहन प्रदान करके मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं जो सभी प्रशंसा के योग्य हैं।

28. पूर्वगामी चर्चाओं से पता चलता है कि जहां तक रेल, सड़क या अन्य माध्यमों से प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुँचाने का संबंध है, फंसे हुए श्रमिकों के बड़े हिस्से को राज्य सरकारों, रेलवे और अन्य संगठनों द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। लेकिन फिर भी अलग-अलग स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूर हैं

विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल राज्य, तमिलनाडु राज्य और गुजरात राज्य में। की अनुसूची ट्रेन की मांग, जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया है, इंगित करता है कि राज्यों और केंद्र द्वारा ट्रेनों की कुल मांग

03.06.2020 से 16.06.2020 तक क्षेत्र 171 हैं। रेल और सड़क द्वारा परिवहन की प्रक्रिया को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरा किया जाना है ताकि प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने के अगले चरण यानी रोजगार के स्रोत और उनके लिए भोजन और राशन प्रदान करने पर ध्यान दिया जा सके। राज्यों के सभी विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि अधिकतम 15 दिनों के भीतर, सभी फंसे हुए श्रमिकों को ले जाया जाएगा

29. इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सभी फंसे हुए श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर ट्रेन, बस या अन्य माध्यम से ले जाएं। आज से दिन।

30. विभिन्न राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने के लिए, पंजीकरण का प्रोटोकॉल पहले से ही लागू है। हमारा विचार है कि पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए जैसा कि पहले से ही 28.05.2020 के आदेश में निर्देश दिया गया है। हमारा विचार है कि पहचान प्रवासी श्रमिकों को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तुरंत पूरा किया जाए और वे प्रवासी श्रमिक, जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, पंजीकरण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करके तत्काल कदम उठाए जाएं।

पुलिस थानों और स्थानीय प्रशासन के अन्य स्थानों सहित आस-पास के स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करके

जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है। रेल और बस द्वारा यात्रा के बारे में जानकारी, जो फंसे हुए श्रमिकों द्वारा की जानी है, आईएन आरई में प्रचारित की जानी चाहिए:

स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय टी. वी. चैनलों के माध्यम से ताकि संबंधित प्रवासी श्रमिकों तक आवश्यक जानकारी पहुंच सके।

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फंसे हुए अधिकांश श्रमिक अपने मूल स्थानों पर पहुंच गए हैं। दूसरा प्रमुख कार्य जो अब होना है

संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन प्रवासी श्रमिकों/मजदूरों की देखभाल की जा रही है जो अपने रोजगार की समाप्ति के बाद अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं। इस संबंध में पहला कदम ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों का रिकॉर्ड बनाए रखना है, जो विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों, कस्बों में पहुंचे हैं। प्रवासी श्रमिकों का विवरण, उनके कौशल की प्रकृति, उनके पहले के रोजगार के स्थान को संबंधित राज्य द्वारा ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर तैयार किए जाने वाले निर्धारित प्रारूप में बनाए रखा जाए ताकि राज्य के अधिकारियों और जिला अधिकारियों द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। संबंधित राज्य द्वारा प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँ ताकि सरकारी योजनाओं और अन्य अवसरों के बारे में सभी जानकारी प्रदान की जा सके। इन श्रमिकों को रोजगार देना और जहां संभव हो, इन श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करना ताकि वे बेकार न रहें और उनका उपयोग राज्य द्वारा एक संसाधन के रूप में किया जा सके। राज्यों की ओर से पेश विभिन्न वकीलों और अन्य वकीलों ने यह भी कहा कि कुछ प्रवासी मजदूर, जिन्होंने अपने मूल स्थान पर लौटने के लिए खुद को पंजीकृत किया था, उन्होंने अपना मन बदल लिया है और उद्योगों और कारखानों को फिर से खोलने के बाद वे फिर से रोजगार में शामिल हो गए हैं और लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ प्रवासी श्रमिक जो अपने पैतृक स्थान पर लौट आए हैं, अब अपने रोजगार के स्थान पर वापस आने के लिए तैयार हैं और रोजगार की तलाश में वापसी यात्रा करने के लिए तैयार हैं। राज्य आवश्यक जानकारी भी प्रदान कर सकता है और उन श्रमिकों की वापसी की सुविधा प्रदान कर सकता है जो अपने रोजगार पर लौटना चाहते हैं। रेलवे अधिकारियों और सड़क परिवहन अधिकारियों की मदद से हेल्प डेस्क बनाकर राज्य द्वारा इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। देश में लोगों के लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के अलावा, प्रत्येक राज्य की अपनी योजनाएं भी हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखती हैं। प्रवासी मजदूर और

अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को परामर्श केंद्रों और हेल्प डेस्क के माध्यम से सभी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जिन्हें राज्यों द्वारा जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों की मदद की जा सके। हमारा यह भी विचार है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न योजनाओं को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए जो [2020] 9 एस. सी. आर. हैं।

संबंधित राज्य में लागू किया गया जो इन प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित कर सकता है ताकि इस संबंध में उचित निर्देश जारी करने के लिए इस न्यायालय द्वारा भी इसकी जांच की जा सके। 32. इस प्रकार, हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न मुद्दों के जवाब में अतिरिक्त हलफनामे जमा करने के लिए दो सप्ताह का और समय देते हैं।

पहलू, जैसा कि इस क्रम में देखा गया है। केंद्र सरकार उन विभिन्न योजनाओं को भी रिकॉर्ड में ला सकती है जिन्हें प्रवासी मजदूर द्वारा लिया जा सकता है जिन्हें दो सप्ताह के भीतर अतिरिक्त हलफनामे द्वारा भी लिया जा सकता है।

33. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अभ्यास में

भारत सरकार, गृह मंत्रालय। लॉकडाउन के उपायों के कारण प्रवासी मजदूरों ने डब्ल्यू. ई. एफ. 25.03.2020 लागू किया और अपने कार्यस्थल/रोजगार के स्रोत के बंद होने के कारण पलायन करना शुरू कर दिया। देश के कई हिस्सों में अपने गृहनगर पहुंचने के लिए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने इस तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में 29.03.2020 पर देखाः -

" जबकि, देश के कुछ हिस्सों में अपने गृहनगर तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासियों की आवाजाही हुई है, यह सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने के लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन है

दूरी "।

दिशा-निर्देशों के तहत, प्रवासियों द्वारा आवाजाही भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत एक अपराध है। पुलिस

अधिकारियों ने इस तरह की गतिविधियों को रोकना शुरू कर दिया और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कुछ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की। प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही की अनुमति सरकार द्वारा केवल डब्ल्यू. ई. एफ. 29.04.2020 द्वारा दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रवासी मजदूरों के खिलाफ उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शिकायतें हो सकती हैं

सड़कों पर आवाजाही में लॉकडाउन के उपाय। जो प्रवासी मजदूर काम बंद होने के कारण विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे, उन्हें अपने गृहनगर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लॉकडाउन उपायों को लागू करने के बाद इन प्रवासी मजदूरों की आवाजाही की कार्रवाई परिस्थितियों के बल पर की गई थी। हमारा विचार है कि राज्य आरई में अभियोजन/शिकायतों को वापस लेने पर विचार कर सकता हैः

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और खामियां

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 में निर्दिष्ट अपराधों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज अन्य संबंधित अपराधों के लिए ऐसे प्रवासी मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

34. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि ऊपर जो संकेत दिए गए हैं, उनके अलावा कुछ और दिशा-निर्देश हैं:

प्रवासियों की स्थितियों में सुधार के लिए जारी किया जाना आवश्यक है कर्मचारी अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए लंबित हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है।

35. हम, इस प्रकार, हमारे दिनांकित 28.05.2020 आदेश द्वारा पहले से जारी निर्देशों और ऊपर निर्देशित उपायों के अलावा, निम्नलिखित जारी करते हैं - केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगे के निर्देश:

(1) सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्य में फंसे प्रवासी श्रमिकों की पहचान के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाएंगे जो अपने मूल स्थानों पर लौटने के इच्छुक हैं और ट्रेन/बस द्वारा अपनी वापसी यात्रा के लिए कदम उठाएंगे।

आज से 15 दिनों की अवधि।

(2) किसी भी अतिरिक्त मांग की स्थिति में, 171 श्रमिक ट्रेनों की मांग के अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, रेलवे 24 घंटे की अवधि के भीतर श्रमिक ट्रेनें प्रदान करेगा, जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रवासी श्रमिकों की वापसी यात्रा।

(3) केंद्र सरकार उन सभी योजनाओं का विवरण दे सकती है जिनका लाभ प्रवासी श्रमिकों को मिल सकता है।

अपने मूल स्थानों पर लौट आए।

(4) सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन सभी योजनाओं का विवरण भी देंगे जो राज्य में वर्तमान में हैं, जिनका लाभ प्रवासी मजदूरों द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं सहित लिया जा सकता है।

(5) राज्य सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर परामर्श केंद्र, हेल्प डेस्क स्थापित करेगा।

सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी और प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसरों और लाभों की पहचान करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाना

विभिन्न योजनाओं के तहत उनके द्वारा लाभ उठाया गया।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, स्थापित परामर्श केंद्र भी विस्तार करके आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। उन प्रवासी श्रमिकों की मदद करें जिनके पास है

अपने मूल स्थानों पर लौट आए और जो अपने रोजगार के स्थानों पर लौटना चाहते हैं।

सभी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अभियोजन/शिकायतों को वापस लेने और उन प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज अन्य संबंधित अपराधों पर विचार करेंगे, जिन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लागू लॉकडाउन की अवधि के दौरान सड़कों पर चलकर लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

08.07.2020 पर मामला।

निर्देश जारी किए गए।